न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/02/18	08–01–2019	16–07–2019

01. रामानन्द पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाति अहीर उचित मूल्य दुकानदार ग्राम नायसराना 1/2 भाग ग्राम पंचायत डूमरोली तहसील नीमराना जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01. जिला रसद अधिकारी, अलवर (राजस्थान)

रेस्पौडेण्ट

अपील विरूद्ध आज्ञा जिला रसद अधिकारी अलवर दिनांक 26–11–2018 बाबत प्राधिकार पत्र संख्या–1572/2012 प्रकरण संख्या 06/2018

उपस्थितः–

01. श्री श्योरामसिंह नरूका –वकील अपीलान्ट
02. विभागीय पैरोकार –रेस्पौडेण्ट

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील जिला रसद अधिकारी अलवर के निर्णय दिनांक 26–11–2018 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र सं0–1572/2012 निरस्त करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं पत्रावली तहत तलब की गई। बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट के प्राधिकार पत्र संख्या 1572/2012 को पूर्व में एकपक्षीय रूप में पारित आदेश दिनांक 25.1.2018 को निलंबित किया गया था जिस आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील संख्या 12/81/18 बउनवान रामानन्द बनाम जिला रसद अधिकारी प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय द्वारा दिनांक 24.10.2018 को स्वीकार करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर जिला रसद अधिकारी को पत्रावली इस आदेश के साथ रिमान्ड की गई कि प्रार्थी/अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर/साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण यथा सम्भव एक माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का अवसर/साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए न्याय निर्णय करने बाबत दिये आदेश दिनांक 24.10.2018 के विरूद्व आलौच्च आदेश एक पक्षीय में पारित किया गया है। तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 24.10.2018 के पश्चात् अपीलान्ट की उचित मूल्य दुकान की जांच ई.ओ. नीमराना करवाई गई जो जांच दिनांक 26.11.2018 की है, जिस जांच में अपीलान्ट के विरूद्व किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं है। तहत अदालत ने जान बूझकर अपने निर्णय में दर्ज नहीं किया गया है। तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट को कारण बताओं नोटिस क्रमांक 16037 दिनांक 31.10.2018 द्वारा दिया गया था, नोटिस में अपीलान्ट के विरूद्व किसी प्रकार का कोई कारण बताओं नोटिस जारी नही किया ना ही आरोप विरचित किये गये। उक्त नोटिस के साथ अपीलान्ट को पूर्व में जारी किये गये नोटिस क्रमांक 2652 दिनांक 06.03.2018 की प्रति भिजवाई गई जिसका जवाब पूर्ण वजुहात के साथ अपीलान्ट द्वारा दिनांक 26.11.2018 को तहत अदालत के समक्ष पेश कर दिया गया था। वक्त जांच दिनांक 20.02.2018 प्रवर्तन निरीक्षक उचित मूल्य दुकान पर उचित मूल्य सामग्री गेहूँ, केरोसीन व चीनी का स्टॉक पूरा था जो दुकान पर

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

सूचना पट्ट पर सामग्री के स्टॉक, रेट का प्रदर्शन हो रहा था। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा गलत रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के यहॉ पेश की गई। अपीलान्ट के विरूद्व किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही की शिकायत नहीं रही है। अपीलान्टन राशन सामग्री का वितरण कार्य ग्राम पंचायत डुमरोली के सरपंच की निगरानी में करता है एवं ग्राम पंचायत के सरपंच व किसी भी सदस्य की अपीलान्ट के विरूद्व कोई शिकायत नहीं है। जिस तथ्य से यह स्पस्ट है कि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अनियमितता नहीं है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निरस्त करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। अपीलांट का प्राधिकार पत्र निलम्बित होने से परिवार का पालन पोषण नही हो रहा है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा अपीलांट को जो नोटिस दिया उसका जवाब पेश कर दिया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलांट पर लगाये गये आरोप गम्भीर प्रवृति के नहीं है और न ही किसी प्रकार का गबन किया गया है। अपीलांट द्वारा कोई अनियमितता की गई है। जिला रसद अधिकारी, अलवर द्वारा मनमाने रूप से हठधर्मिता से आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपील अन्दर मियाद पेश की गई है, अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावें अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें, एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जावें।

विभागीय पैरोकार ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आदेश 1976 की धारा 8 के तहत बिना सुनवाई के प्राधिकृत अधिकार पत्र निरस्त किया जा सकता है। समस्त कार्यवाही की जानकारी अपीलान्ट को है। अपीलान्ट द्वारा कारण बताओ नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया और ना ही अपने पक्ष में कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। कारण बताओ नोटिस में अंकित नियमितताओं के संबंध में कोई जवाब नहीं दिया गया। अपीलान्ट का यह कृत्य राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 11 का स्पस्ट उल्लधंन किया गया। प्रवर्तन निरीक्षक ने जांच कर सही रिपोर्ट पेश की है। उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है। दौराने जांच स्थिति सही नही मिली जिसके आधार पर कार्यवाही की गई है और ना ही अपीलार्थी कार्यालय में उपस्थित हुआ। अतः अपील खारिज फरमाई जावें।

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया कि अपीलान्ट के विरूद्व किसी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही की शिकायत नहीं रही है। अपीलान्टन राशन सामग्री का वितरण कार्य ग्राम पंचायत डुमरोली के सरपंच की निगरानी में करता है एवं ग्राम पंचायत के सरपंच व किसी भी सदस्य की अपीलान्ट के विरूद्व कोई शिकायत नहीं है। जिससे स्पस्ट है कि अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार का कोई अनियमितता नहीं है। अपीलीय आदेश में जो तथ्य दर्ज किये वो गंभीर प्रवृति के नही थे, केवल प्रकरण बनाने के लिए अपीलान्ट का लाईसेंस निरस्त करने के लिए ही लगाये गये थे, जिनका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध नही है। जिला रसद अधिकारी, अलवर का फैसला विधि विरूद्व तरीके से मनमर्जी एकतरफा में पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा उठाये गये तर्क के सम्बन्ध में तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया। तहत अदालत की आदेशिका दिनांक 31.10.18 में डीलर का प्राधिकार पत्र बाहल करने का पुनः नोटिस जारी किया पत्रावली दिनांक 15.11.18 को पेश हों के उपरान्त तहत अदालत द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 26.11.2018 निरस्त कर दिया गया। जिससे जाहिर होता है कि अपीलान्ट को जवाब पेश करने का भी तहत अदालत ने कोई अवसर नहीं दिया। अपीलान्ट द्वारा अपील में उठाये गये तर्क सही प्रतीत होते है। बिना जवाब पेंश किए एवं बिना सुनवाई का अवसर दिये पारित निर्णय को उचित नहीं ठहराया जा सकता। अपील अपीलान्ट स्वीकार होकर रिमाण्ड किए जाने योग्य है।

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। जिला रसद अधिकारी अलवर का आदेश दिनांक 26–11–2018 निरस्त किया जाकर, अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र बहाल किया जाकर प्रकरण जिला रसद अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट को आरोपों के संबंध में विधिवत नोटिस जारी कर सुनवाई अवसर/साक्ष्य, सबूत का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का यथासम्भंव एक माह में गुणावगुण के आधार पर निस्तारण करें। निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत वापस भिजवाई जावें। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16–07–2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(इन्द्रजीत सिंह)
जिला कलक्टर, अलवर
अलवर (राज०)